न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2025(GCMS 2025/140)

श्री नीरू लड़ोईया पत्नी राजीव कुमार लड़ोईया निवासी विद्याभवन, पुराने सदर थाने के पीछे, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94145–00133, 94145–03770)

बनाम

प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती नीरू लड़ोईया के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढ़ा उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्होने लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्रीमती नीरू लड़ोईया ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> वर्ष 1991 से वर्ष 1993 तक (तीन वर्षों की अवधि) की अवधि में श्रीगंगानगर जिले में नियुक्त किए गए शपथ आयुक्तों (Oath Comissioners) की सूचि 1. नाम 2. पिता का नाम 3. आवासीय एवं पेशेवर पता 4. कार्यक्षेत्र 5 शपथ आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए दी गई अनुमति की अवधि (विवरण सहित) की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/344 दिनांक 27.02.2025 एवं 856 दिनांक 15.04.2025 से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था, जिस पर प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा ने अपने पत्रांक एफ40(18)(06)आरटीआई/सामान्य/2024/3553 दिनांक 27.05.2025 से अवगत करवाया की अपीलार्थी की अपील उनके द्वारा दिनांक 18.03.2025 को न्याय शाखा को स्थानान्तरित कर दी थी और उक्त पत्र की प्रति भी न्याय शाखा को भिजवाई गई है। उक्त पत्र के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/1296 दिनांक 09.06.2025 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवाई जावे। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:43 IST
Reason: SelfAttested